उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग,
गुरुकुल कांगड़ी, हरिद्वार – 249404
Website-www.ukpsc.gov.in

☎ 01334-244143
01334-244282(F)

संख्या – 65 / 02 / डी0आर0 / सेवा–1 / 2013–14 दिनॉक 17 अप्रैल, 2014

विज्ञप्ति

उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग द्वारा श्रम एवं सेवायोजन विभाग में राज्य कर्मचारी बीमा योजना के अन्तर्गत चिकित्साधिकारी (ऐलोपैथिक) के रिक्त 28 पदों पर सीधी भर्ती के माध्यम से चयन हेतु आयोग की वेबसाइट www.ukpsc.gov.in पर ऑन लाईन आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं। विस्तृत विज्ञापन सं0 67 / 02 / डी0आर0 / सेवा–1 / 2012–13 दिनॉक 18 अप्रैल, 2014 आयोग की वेबसाइट www.ukpsc.gov.in पर उपलब्ध है। ऑन लाईन आवेदन पत्र जमा किये जाने से सम्बन्धित महत्वपूर्ण तिथियां निम्नवत् है –

01. ऑन लाईन आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि – **03 मई, 2014**

02. परीक्षा शुल्क जमा किये जाने की अंतिम तिथि – **09 मई, 2014**

03. आवेदन पत्र का प्रिंट आउट (समस्त संलग्नकों सहित) आयोग कार्यालय में जमा करने की अंतिम तिथि – **19 मई, 2014**

(एस0एन0 पाण्डेय)
सचिव

प्रतिलिपि : अनुभाग अधिकारी, आई0टी0 को उक्त विज्ञप्ति आयोग की वेबसाइट पर अपलोड किये जाने हेतु।

संलग्न – विज्ञापन : 67/02/डी0आर0/सेवा-1/13-14 दि0 18 अप्रैल - 2014.

(एस0एन0 पाण्डेय)
सचिव

उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, हरिद्वार

गुरुकुल कांगड़ी, हरिद्वार–249404

☎ 01334–244143, 242331, 242332

विज्ञापन संख्या – 67 / 02 / डी0आर0 / सेवा–1 / 2013–14

दिनॉक 18 अप्रैल, 2014

चिकित्सा अधिकारी (ऐलोपैथिक) – कर्मचारी राज्य बीमा योजना, उत्तराखण्ड

ऑनलाइन आवेदन भरने की अन्तिम तिथि– **03 मई, 2014 (रात्रि 11.59 बजे तक)**

परीक्षा शुल्क बैंक में जमा करने की अन्तिम तिथि– **09 मई, 2014**

आवेदन पत्र का प्रिंट आउट आयोग कार्यालय में जमा करने की अंतिम तिथि– **19 मई, 2014**

आयोग की वेबसाइट–www. ukpsc.gov.in

अति महत्वपूर्ण निर्देश :–

01– अभ्यर्थी अपने उर्ध्वाधर एवं क्षैतिज आरक्षण से सम्बन्धित श्रेणी / उप श्रेणी का अंकन ऑनलाइन आवेदन पत्र में अवश्य करें। आरक्षण का दावा न किये जाने की दशा में रिट् याचिका (स्पेशल अपील) संख्याः 79 / 2010 राधा मित्तल बनाम उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग में मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल द्वारा पारित आदेश दिनांक 08.06.2010 तथा विशेष अनुज्ञा याचिका (सिविल) नं0 (एस) 19532 / 2010 में मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेश के क्रम में अभ्यर्थी को आरक्षण का लाभ कदापि अनुमन्य नहीं होगा। आरक्षण विषयक प्रमाण पत्र आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि तक अभ्यर्थी द्वारा अवश्य धारित करना चाहिए।

02– अभ्यर्थी यह सुनिश्चित कर लें कि वह **ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने की अन्तिम तिथि अर्थात् दिनांक 03 मई, 2014 तक** अनिवार्य शैक्षिक एवं अन्य अर्हताएं अवश्य धारित करते हों। सभी प्रकार के पूर्ण आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि को नियत समय तक अभ्यर्थी "Online Application" प्रक्रिया में "Submit" बटन को "Click" करना अनिवार्य है।

03– अभ्यर्थी आवेदन पत्र का प्रिंट आउट (आवेदन पत्र में दावित शैक्षिक योग्यता / अनुभव / आरक्षण सम्बन्धी समस्त प्रमाण पत्रों की स्वयं प्रमाणित छायाप्रति सहित) **दिनॉक 19 मई, 2014 तक** आयोग कार्यालय में जमा करा दें। अभ्यर्थी आवेदन पत्र की एक प्रति भविष्य में संदर्भ हेतु सुरक्षित रखें।

04– फर्जी प्रमाण पत्रों (शैक्षिक योग्यता / अनुभव / आरक्षण सम्बन्धी) के आधार पर आवेदन पत्र प्रस्तुत करने वाले अभ्यर्थियों को आयोग की समस्त परीक्षाओं से अधिकतम 05 वर्षों के लिए प्रतिवारित कर दिया जायेगा।

05– आयोग में ऑनलाईन आवेदन पत्र प्रस्तुत कर दिए जाने के उपरान्त अर्हता, आरक्षण से सम्बन्धित श्रेणी / उप श्रेणी, आयु, वैकल्पिक विषय एवं परीक्षा केन्द्र आदि (जो भी लागू हो) में किसी भी प्रकार का संशोधन या परिवर्तन का अनुरोध स्वीकार नहीं किया जायेगा।

06– एक अभ्यर्थी के नाम से एक से अधिक आवेदन पत्र कदापि स्वीकार नहीं किये जायेंगे।

07– ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने के पूर्व विज्ञापन में वर्णित समस्त निर्देशों का भली–भांति अध्ययन कर लें तथा ऑनलाइन आवेदन पत्र को सही–सही भरें।

08– प्रश्नगत परीक्षा हेतु मात्र ऑनलाइन आवेदन एवं बैंक चालान के माध्यम से परीक्षा शुल्क ही स्वीकार्य होगा। किसी अन्य प्रकार से किया गया आवेदन / परीक्षा शुल्क स्वीकार नहीं किया जाएगा।

09– रिक्त पदों के सापेक्ष अत्यधिक संख्या में आवेदन पत्र प्राप्त होने की दशा में स्क्रीनिंग परीक्षा आयोजित करायी जा सकती है। स्क्रीनिंग परीक्षा आयोजित होने की दशा में पाठ्यक्रम, अभ्यर्थियों को आवंटित परीक्षा केन्द्र व परीक्षा की तिथि की सूचना यथासमय पृथक से वेबसाइट तथा दैनिक समाचार पत्रों के माध्यम से अभ्यर्थियों को उपलब्ध करायी जाएगी ।